I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/05/2020 11:53 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/05/2020 **Time (समय):** 11:02 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/05/2020 11:02 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला पानीपत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** KANU PRIYA

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 08/01/1981 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार			1. सोनीपत,SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	राजिन्द्र सिंह सांगवान			1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
3	बिलेन्द्र सिह			1. जीन्द,JIND,HARYANA,INDIA
4	सुरेन्द्र कुमार		Father's Name: श्री राजपाल	1. गांव सिवाह,PANIPAT,HARYANA,INDIA
5	श्री सजंय देसवाल			1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
6	अरविन्द सांगवान		Father's Name: चांदी राम	1. 459,अर्बन अस्टेट-2,हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA
7	श्री तेजपाल		Father's Name: श्री तुलसी राम शर्मा	1. गांव खरकखुर्द,BHIWANI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिंनाक 07.06.2019 की अनुपालना मे जांच क्रमांक 07 दिंनाक 10.06.2019 पंचकुला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 9625/आई0-1/रा0चौ0ब्यूरो, दिंनाक 13.06.2019 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक व उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला द्वारा की गई थी। जांच मे मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलां के शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त

अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रो को छात्रवृति ना देकर उनके आधार न0 व खाता न0 बदलकर अपने जानकार लोगो के बैंक खातो मे छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोडो रूपये की राशि का गबन किया है। आरोप की जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढने वाले अनूसुचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रूपये प्रति मास तक छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछडे वर्ग के छात्रों को 160 रूपये से 750 रूपये तक प्रति माह छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से टयूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/- रूपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 ये पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 मे यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफटवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्ते पूरी करनी होती है। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेसित कर देते है। हरियाणा राज्य से बाहर पढने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेसित करते है। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानो से व राज्य से बाहर पढने वाले छात्रो से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृति मन्जूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिश ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिश के आधार पर नोटिंग पर केस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्पयूटर पर मैन्यूअली छात्रो की सूची तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतू भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0ओ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते है। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0ओ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैंक में छात्रो के खातों में राशि ट्रान्सफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक में भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रान्सफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रान्सफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते है। अगर कोई खाता आधार से लिंक नही होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नही गई। जो ड्राफट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते है डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते है कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रान्सफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटिया लगाई गई है उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दोबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता मे राशि ट्रान्सफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटिया ठीक करवाते है। जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम ऑन लाईन चलाई गई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत पुत्र श्री राजपाल, वासी गांव सिवाह, जिला पानीपत को समय-2 पर जिला सोनीपत से मुख्यालय पर बुलाकर इस स्कीम में काम करवाया गया। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिशो के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग से छात्रवृति राशि की मन्जूरी मिलने उपरान्त Excel फाईल तैयार की जाती थी, जिसमें छात्रो के आधार न0 बदल दिये जाते थे। यह आधार न0 सुरिन्द्र कुमार को अनिल कुमार, उप निदेशक व बलिन्द्र सिह, सहायक द्वारा पैन ड्राईव में उपलब्ध करवाए जाते थे। राजिन्द्र सांगवान, अनिल कुमार उप निदेशक, बलिन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र सिह लेखाकार कम लिपिक ने मिलकर प्रशिक्षण शाखा में मैन्यूअल Excel फाईल तैयार करते समय छात्रों के आधार न0 बदल दिये और Excel फाईल बिल तैयार करने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा में भिजवा दी। डी0डी0ओ0 द्वारा बिल बनाकर खजाना कार्यालय से बिल पास करवाने उपरान्त बैंक में भेजने के लिए XML फाईल तैयार करवाई गई जिसमे भी आधार न0 बदले जाने पाये गए है, क्योंकि छात्रों के उन खातों में राशि ट्रांसफर होनी थी, जो खाते आधार नम्बर से लिंक थे। उपरोक्त अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, बिलेन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री सजंय देसवाल, जिला कल्याण अधिकारी पानीपत ने अरविन्द सांगवान पुत्र चांदी राम निवासी म0न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार व श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला झिवानी से मिलीभगत करके अपराधिक षडयंत्र रचकर सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुचाने के लिए स्वंय को अनुचित आर्थिक लाभ पहुचाने के लिए अपने-2 पदो को दुरूपयोग करके हरियाणा राज्य से बाहर के राज्यो के शिक्षा सस्थानो/विश्वविधालयो मे जिला पानीपत के अलग-2 गांव व पानीपत शहर के अनुसूचित जाति के छात्रो को झुठ बोलकर उनके दस्तावेज दसवी व बाहरवी के प्रमाण पत्रो की प्रतिया जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की प्रतिया वर्ष 2014-15 व वर्ष 2016-17 मे प्राप्त करके 72 छात्रो के दाखिले वी0एल0डी0ए0/एम0पी0एच0डब्ल्यू0/डी0एम0एल0टी0 कोर्स करने के लिए फर्जी दाखिले दिखाए गए जिनमे से 18 छात्रो के दाखिले एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स के लिए सत्यां साई विश्वविद्यालय भौपाल मध्य प्रदेश, 04 छात्रो के दाखिले डी0एम0एल0टी0 कोर्स के लिए सन्त बाबा भाग सिह विश्वविद्यालय, जलंधर, 18 छात्रो के दाखिले एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स के लिए जयपुर नेशनल, जयपुर, राजस्थान, विश्वविद्यालय 14 छात्रो के दाखिले एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स के लिए सी0टी0 विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब, 03 छात्रो के दाखिले डी0एम0एल0टी0 कोर्स के लिए अकाल विश्वविद्यालय, तलबंण्डी साबो, बडिण्डा, पंजाब, 02 छात्रो के दाखिले एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स के लिए आदेश विश्वविद्यालय बठिण्डा, पंजाब 05 छात्रो के दाखिले डी0एम0एल0टी0 कोर्स के लिए जी0एन0ए0 वि विश्वविद्यालय, हरगोबिंदगढ फगबाडा, 03 छात्रो के दाखिले डी0एम0एल0टी0 कोर्स के लिए खालसा विश्वविद्यालय, अमृतसर, 05 छात्रो के दाखिले एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स के लिए RIMT विश्वविद्यालय मण्डी गोबिन्दगढ, पंजाब मे फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृति लेने के लिए ऑन लाईन आवेदन जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत के पोर्टल पर किए जाने पाए गए है। जांच के दौरान इन संस्थानो ने मेल द्वारा सूचित किया कि उनके संस्थानो मे एम0पी0एच0डब्ल्यू0/वी0एल0डी0ए0 के कोर्स नही करवाए जाते और ना ही इन छात्रो द्वारा उनके संस्थानो मे कभी भी किसी कोर्स के लिए दाखिला लिया। ऑनलाईल आवेदन करते समय सभी 72 फार्मो मे 4/5 मोबाईल न0 लिखे गए है। आवेदन फार्मो व उनके साथ लगे दस्तावेजो की फोटोप्रतिया जिला कल्याण अधिकारी पानीपत से प्राप्त की गई। श्री संजय देसवाल, जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत द्वारा पत्र क्रमांक 1891 दिंनांक 28.09.2018 अनुसार 38 छात्रो के जिनमे से 17 छात्र सत्या सांई विश्वविद्यालय, भौपाल व पत्र क्रमांक 1949 दिनांक 11.10.2018 अनुसार 56 छात्रो के छात्रवृति आवेदन जिनमे से 55 छात्र उक्त संस्थानो से सम्बन्धित है, के आवेदनो को बिना जांच किए तथा झुठा अनुमोदन/संतुति रिपोर्ट के साथ छात्रवृति स्वीकृति के लिए मुख्यालय पर भेजे जाने पाए गए है। इन 72

आवेदनो मे दर्शाये गए आधार न0 भी मुख्यालय पर सैक्शन शाखा मे राशि स्वीकृति उपरान्त एक्सल फाईल मे बदलकर तथा एक अन्य छात्र का आधार न0 बदलकर कुल 43,15,200/-रूपये का गबन करना पाया गया। अतः उपरोक्त के विरूद धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। अगर तफतीश के दौरान विरेन्द्र पुत्र चांदी राम वासी बडनपुर, जिला जीन्द, साहब सिह पुत्र हवा सिह, कमल, कुलदीप, डा0 सत्यावान व अन्य किसी व्यक्ति या अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की व सम्बन्धित शिक्षण संस्थानो की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त भगवती संस्थान आफ नर्सिग भिखी, जिला मानसा पंजाब, लक्ष्मी स्कूल आफ नर्सिग, कालाबुर्गी, जिला गुलबर्ग, बी0एच0यू0 बनारस, उतर प्रदेश, आधुनिक संस्थान आफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च दूही, जिला गाजियाबाद, उतर प्रदेश, हावर्ड संस्थान आफॅ ई0ई0टी0, कठुआ जम्मू, मीरा मैडिकल संस्थान आफ नर्सिग एण्ड अस्पताल अबोहर पंजाब, ईस्ट एण्ड कॉलेज आफ नर्सिग, मुलापुर लुधियाना, लेडी हार्डिन दिल्ली, वर्धमान महावीर ऑपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान, कलांवती स्कूल आफ नर्सिग बठिण्डा, पंजाब, मैटेरी कॉलेज बापूधाम काम्पलैक्स, चाण्क्यापूरी नई दिल्ली व श्री कृष्णा कॉलेज आफ इन्जि0, सिघांवाली अहिर बागपत, उतर प्रदेश मे पढ रहे/पढ चुके करीब 24 छात्र जो जिला करनाल व पानीपत से सम्बन्धित है, की तसदीक तफतीश के दौरान कर ली जाए। अगर कोई छात्र उक्त संस्थानो मे फर्जी पाया जाता है तो उसे भी तफतीश के दौरान शामिल कर लिया जाए। उपरोक्त मामले मे दो अलग-2 अभियोग जिला पानीपत व जीन्द से सम्बन्धित दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। जांच के दौरान करनाल व पानीपत के शिक्षा संस्थानो से प्राप्त रिकार्ड से पाया गया कि उनके संस्थानो मे से काफी छात्र पढाई बीच मे छोडकर चले गए थे। जिनका विवरण संस्थान अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मे है, को भी तफतीष के दौरान शामिल तफतीष करके यह तसदीक करने का सुझाव दिया जाता है कि इन छात्रो द्वारा उक्त संस्थानो मे पढाई छोडकर किसी अन्य संस्थान मे दाखिला तो नही लिया था। जिला पानीपत, करनाल व जीन्द से सम्बन्धित जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 22-75/रा0चौ0ब्यू0(ह) दिंनाक 17.02.2020 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिनांक 17.03.2020 के अनुसार जांच मे दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी व अन्य के विरूद उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 3958/आई-1 दिंनाक 20.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुए है। अतः जिला पानीपत की घटना के बारे में अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, बिलेन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री सजंय देसवाल, जिला कल्याण अधिकारी पानीपत, अरविन्द सांगवान पुत्र चांदी राम निवासी म0न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार व श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी के विरूद धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिजवाई जाए नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक उमर मोहम्मद, राज्य चौकसी ब्यूरो, पानीपत के हवाले की जावे। Sd Kanupriya निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। अज थाना :- उपरोक्त तहरिर पर कायमी मुकदमा नम्बर 04 दिनाँक 28-05-2020 जेर धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पशेल रिपोर्ट अफसरानबाला वा डयूटी मैजिस्ट्रैट साहब पानीपत को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मुख्य सिपाही सत्यवान न0 645/जी0आर0पी0 के हवाले की जाकर रवाना निज्द निरीक्षक उमर मोहम्मद, राज्य चौकसी ब्यूरो, उप-केन्द्र पानीपत का किया गया है वा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से महिला निरिक्षक कनुप्रिया की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Umar Mohammad **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 105PPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Shyam Lal

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/03/1971				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	30/12/1968				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	30/12/1968				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	29/10/1968				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	17/07/1975				**Is Proxitted:** Yes
6	Male	26/02/1981				**Is Proxitted:** Yes
7	Male	15/07/1965				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)